न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड् अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gems No. 2021/255
दायरा तिथि : 01.10.2021
प्राथमिक डिक्री दिनांकः 06.07.2022 फाईनल डिक्री दिनांक 02-01-23

वादी :–
श्रीमति सुन्दरकंवर पत्नी विशनसिंह जाति राजपुत
निवासी रामनगर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. करणसिंह पुत्र धर्मसिंह
2. मदनसिंह पुत्र धर्मसिंह
3. शैतानसिंह पुत्र धर्मसिंह
4. सोहनसिंह पुत्र धर्मसिंह जातिगण राजपुत निवासीगण चामुण्डेरी राणावतान
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–
1.श्री गणपतलाल चौधरी .... अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री ओम प्रकाश दवे ....अभिभाषक प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 की ओर से
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार, बाली ....पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 02-01-23

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 68 रकबा 12.80 हैक्टर किस्म बारानी सोयम लगान 51.20 रूपये के सबंध में वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया। अपने वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सह खातेदारी की भूमि होने तथा वादी का 19/40 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, व 04 प्रत्येक का 21/160, 21/160 हिस्सा होने से इन्ही हिस्सो अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 की प्रमाणित प्रति, एवं संवत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दवे ने वकालतनामा पेश कर वादी के वाद पत्र के अनुसार व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने बात् सहमति प्रकट की । वकील प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने पर सहमति प्रकट करने से पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 68 रकबा 12.80 हैक्टर किस्म बारानी सोयम लगान 51.20 रूपये के सबंध में रेकर्ड में दर्ज वादी का 19/40 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का 21/160, 21/160 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.07.2022 को जारी की गई। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/2022/1055 दिनांक 27.09.2022 से निम्नानुसार अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुती कीः–

क्र0 सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
01	सुन्दरकंवर पत्नि विशनसिंह कौम राजपूत निवासी रामनगर तहसील सुमेरपुर जिला पाली	68	6.08	बा.सो.	24.32	हल्का पीला
02	करणसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/4 मदनसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/4 शैतानसिह पुत्र धर्मसिंह 1/4 सोहनसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/4 कौम राजपुत सा. चामुण्डेरी खातेदार	68/1	6.72	बा.सो.	26.88	हरा

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No. 2021/255
अनवान सुन्दरकंवर बनाम करणसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अपनी रिपोर्ट में नोट अंकित करते हुये प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो के आने जाने हेतु मौके पर अलग—अलग रास्ता दर्ज होना वर्णित किया।

तहसीलदार,बाली से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील वादी द्वारा सहमति प्रकट कर इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष श्री ओमदवे द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पुर्व खातेदार चोपाराम के द्वारा दिनांक 03.04.2005 एवं दिनांक 10.03.2013 को वादी के पति विशनसिंह ने 110 रूपये के स्टाम्प पर लिख कर प्रतिवादीगण को 25 फीट का रास्ता दिया था, तथा खातेदारी भूमि के पूर्व तथा रोलराई नाडी के सहारे सहारे पश्चिम जाने का रास्ते का तय किया गया था। जो रास्ता उक्त विभाजन रिपोर्ट में नहीं दर्शाया है तथा साथ ही रिपोर्ट प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, अतः पुर्व लिखत के अनुसार रास्ता छोडते हुये पुनः रिपोर्ट मंगाये जाने का निवेदन किया। जिससे दोनो पक्षो के वकुलाय को सुनने के पश्चात् प्रकरण के न्यायपुर्ण निर्णय के लिये तहसीलदार, बाली से पुनः रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, बाली ने पुनः मौका जांच करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2022/1542 दिनांक 06.12.2022 से पुनः निम्नानुसार रिपोर्ट पेश कीः—

क्र0 सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
01	करणसिंह पुत्र धर्मसिंह 21/160 मदनसिंह पुत्र धर्मसिंह 21/160 शैतानसिह पुत्र धर्मसिंह 21/160 सोहनसिंह पुत्र धर्मसिंह 21/160 जाति राजपुत सा. चामुण्डेरी सुन्दरकुवर पत्नि विशनसिंह 19/40 कौम राजपुत खातेदार सा. रामनगर तहसील सुमेरपुर	68/1	0.32	बा.सो.	1.28	लाल
02	सुन्दरकुवर पत्नि विशनसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार नि. रामनगर तहसील सुमेरपुर	68	5.9280	बा.सो.	23.7120	पीला
03	करणसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/4 मदनसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/4 शैतानसिह पुत्र धर्मसिंह 1/4 सोहनसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/4 कौम राजपुत सा. देह खातेदार	68/2	6.5520	बा.सो.	26.2080	हरा

तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोठार द्वारा पुनः रिपोर्ट तैयार करते समय मौके का नजरी नक्शा भी बनाया गया। तहसीलदार, बाली से पुनः रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से यह स्वीकार्य है कि तहसीलदार, बाली ने विभाजन रिपोर्ट तैयार करते समय रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से बंट में भूमियाँ रखी गई है। तथा रास्ता इत्यादि के लिये भी सुविधाएँ मौजुद है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी आपत्ति में पश्चिम दिशा की ओर से रास्ता की मांग की गई है, जबकि प्रस्तुत मौके के नजरी नक्शा के अनुसार उस भूमि पर वादी कों घर बनां हुआ है तथा कुँआ भी हैं, ऐसी स्थिति में मकान तथा कुएँ की ओर से प्रतिवादीगण को रास्ता दिया जाना फिजिबल भी नहीं है। इसके साथ ही विभाजन में रखी गई प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में मौके पर रास्ता मौजुद है। जिससे रास्ता आदि की किसी पक्ष को कठिनाई नहीं है। जिससे प्रतिवादी पक्ष की आपत्तियॉ सारहिन होने से खारिज की जाती है। तथा वादग्रस्त भूमि ग्राम वेलार के खसरा नंबर 68 रकबा 12.80 हैक्टर किस्म बारानी सोयम लगान राशि 51.20 रूपये के सबंध में तहसीलदार, बाली कार्यालय पत्रांक/भू0अ0/2022/1542 दिनांक 06.12.2022 से पुनः प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अग्रांकितानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैः—

पेज लगातार......03

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No. 2021/255
अनवान सुन्दरकंवर बनाम करणसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र0 सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
01	करणसिंह पुत्र धर्मसिंह 21/160 मदनसिंह पुत्र धर्मसिंह 21/160 शैतानसिह पुत्र धर्मसिंह 21/160 सोहनसिंह पुत्र धर्मसिंह 21/160 जाति राजपुत सा. चामुण्डेरी सुन्दरकुवर पत्नि विशनसिंह 19/40 कौम राजपुत खातेदार सा. रामनगर तहसील सुमेरपुर	68/1	0.32	बा.सो.	1.28	लाल
02	सुन्दरकुवर पत्नि विशनसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार नि. रामनगर तहसील सुमेरपुर	68	5.9280	बा.सो.	23.7120	पीला
03	करणसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/4 मदनसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/4 शैतानसिह पुत्र धर्मसिंह 1/4 सोहनसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/4 कौम राजपुत सा. देह खातेदार	68/2	6.5520	बा.सो.	26.2080	हरा

तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोठार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 51.20 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोठार को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible] मीना)
आई.ए.एस.
प्रदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 02-01-23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रदेन सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

वादी :–
श्रीमति सुन्दरकंवर पत्नी विशनसिंह जाति राजपुत
निवासी रामनगर तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. करणसिंह पुत्र धर्मसिंह
2. मदनसिंह पुत्र धर्मसिंह
3. शैतानसिंह पुत्र धर्मसिंह
4. सोहनसिंह पुत्र धर्मसिंह जातिगण राजपुत नियासीगण चामुण्डेरी राणावतान
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gems No. 2021/255
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतियादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम वेलार के खसरा नंबर 68 रकबा 12.80 हैक्टर किस्म बारानी सोयम लगान राशि 51.20 रूपये के सबंध में तहसीलदार, बाली कार्यालय पत्रांक/ भू०अ०/2022/1542 दिनांक 06.12.2022 से पुनः प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अग्रांकितानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती हैं:–

क्र० सं०	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान	नजरी नक्शे में दर्शित रंग
01	करणसिंह पुत्र धर्मसिंह 21/160 मदनसिंह पुत्र धर्मसिंह 21/160 शैतानसिह पुत्र धर्मसिंह 21/160 सोहनसिंह पुत्र धर्मसिंह 21/160 जाति राजपुत सा. चामुण्डेरी सुन्दरकुवर पत्नि विशनसिंह 19/40 कौम राजपुत खातेदार सा. रामनगर तहसील सुमेरपुर	68/1	0.32	बा.सो.	1.28	लाल
02	सुन्दरकुवर पत्नि विशनसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार नि. रामनगर तहसील सुमेरपुर	68	5.9280	बा.सो.	23.7120	पीला
03	करणसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/4 मदनसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/4 शैतानसिह पुत्र धर्मसिंह 1/4 सोहनसिंह पुत्र धर्मसिंह 1/4 कौम राजपुत सा. देह खातेदार	68/2	6.5520	बा.सो.	26.2080	हरा

तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोठार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 51.20 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय नो.ज्यू. स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमरीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोठार को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02-01-23 को जारी किया गया।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं (पदेन)
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली

Scanned with CamScanner